रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 132] नई दिल्ली, बुधवार, मई 1, 2019/वैशाख 11, 1941
No. 132] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 1, 2019/VAISAKHA 11, 1941

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2019

फा.सं. पी-13039(18)/1/2018-सीसी (पी-26825).— पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दिनांक 19 दिसम्बर, 2005 के मोटर स्प्रिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियम और कदाचारों की रोकथाम) आदेश, 2005 में संशोधन करने के लिए दिनांक 29 जून, 2017 को राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 728(अ) जारी की है। संशोधित आदेश के खंड 6 (ए)1 में यह उल्लिखित है कि केन्द्रीय सरकार भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों और विनिर्दिष्ट मिश्रण सीमाओं के अनुसरण में सभी उपभोक्ताओं को हाई स्पीड डीजल में मिश्रण के लिए जैव-डीजल (बी-100) का सीधा विक्रय करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकती है।

2. उपर्युक्त के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा परिवहन प्रयोजन के लिए हाई स्पीड डीजल के साथ मिश्रण हेतु जैव-डीजल की बिक्री के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों को अधिसूचित करती है।

3 (i) इन दिशा-निर्देशों को **"परिवहन प्रयोजन हेतु हाई स्पीड डीजल के साथ मिश्रण के लिए जैव-डीजल की बिक्री हेतु दिशा-निर्देश, 2019"** कहा जाए।

(ii) उपर्युक्त दिशा-निर्देश समस्त भारत पर लागू होंगे।

(iii) इसमें निहित दिशा-निर्देश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे और आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।

4. दिशा-निर्देशों का पाठ संलग्न है।

"परिवहन प्रयोजन हेतु हाई स्पीड डीजल के साथ मिश्रण के लिए जैव-डीजल की बिक्री हेतु दिशा-निर्देश, 2019"

i. जैव डीजल (बी-100) की खुदरा बिक्री हेतु अनुमति लेने के लिए आवेदन राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश (जहां इस खुदरा बिक्री केन्द्र की स्थापना की जानी है) के नागरिक आपूर्ति विभाग/अन्य विभाग, जिसे इस कार्य के लिए संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा प्राधिकृत किया गया है, को प्रस्तुत करने होंगे।

ii. यह अनुमति केवल जैव डीजल (बी-100) की बिक्री के लिए होगी और न कि जैव डीजल मिश्रण (किसी भी प्रतिशतता में) के लिए होगी।

iii. जैव डीजल की बिक्री के लिए खुदरा बिक्री केन्द्र की स्थापना की अनुमति संबंधित केन्द्र/राज्य/केन्द्र शासित/स्थानीय सरकार/प्राधिकरणों, जहां खुदरा बिक्री केन्द्र स्थित है, से संबंधित **अनुलग्नक** तथा उसमें उल्लिखित अन्य संबंधित प्राधिकारणों के अनुसार पंजीकरण/अनुमोदन/अनापत्ति प्रमाणपत्रों की शर्त पर निर्भर करेगी।

iv. इस अनुमति को जैव डीजल के बिक्री वाले स्थल पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा।

v. उपर्युक्त अनुमति के अनुसरण में बेचे जाने वाला जैव डीजल आयातित न होकर स्वदेशी रूप से उत्पादित होना चाहिए।

vi. ग्राहक के ऑटोमोबाइल टैंक में डीजल के साथ मिश्रण हेतु अनुमोदित जैव डीजल की प्रतिशतता को बोर्डों पर प्रमुखता से अंग्रेजी/हिन्दी तथा क्षेत्र की स्थानीय भाषा में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, जैव डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र पर प्रमुखता से यह चेतावनी (उपरोक्त बोर्डों के साथ) प्रदर्शित करनी होगी कि विनिर्धारित प्रतिशतता से अधिक प्रतिशतता में जैव डीजल का इस्तेमाल इंजन को क्षति पहुंचा सकता है।

vii. खुदरा बिक्री केन्द्र के स्वामी/प्रचालक, आपूर्तिकर्ता के ब्यौरों के साथ साथ सामग्री के खपत और बकाया का रिकार्ड रखेंगे। जैव डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र के स्वामी/प्रचालक इस सामग्री रिकार्ड को हर समय खुदरा बिक्री केन्द्र पर उपलब्ध रखेंगे, ताकि कभी भी संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकार और/अथवा केन्द्र सरकार के किसी प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में निरीक्षण किया जा सके।

viii. बायो डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र के स्वामी/प्रचालक अपने आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त कम से कम पिछली तीन आपूर्तियों के नमूने रखेंगे ताकि उपुर्यक्त उद्देश्य के लिए प्राधिकृत किसी भी प्राधिकारी द्वारा उनका निरीक्षण और/अथवा जांच की जा सके।

ix. बायो डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र का स्वामी/प्रचालक एक रजिस्टर में बायो डीजल की प्रत्येक बिक्री का स्थायी रिकार्ड रखेगा जिसे दैनिक आधार पर अद्यतन किया जाएगा और यह हर समय जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा प्रत्येक बिक्री के लिए बिल (डुप्लीकेट में) को जारी किया जाएगा जिसमें बेची गई मात्रा, प्रभारित दर और बिक्री की तारीख व समय के ब्यौरे देते हुए वाहन संख्या और ग्राहक का नाम/संपर्क दूरभाष को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना अनिवार्य होगा। (बिल की एक प्रति ग्राहक के लिए और एक प्रति खुदरा बिक्री केन्द्र के रिकार्ड के लिए)

x. राज्य सरकार के प्राधिकारियों के पास जैव-डीजल की बिक्री करने वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों की नियमित जांच करने का अधिकार होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपभोक्ता को जैव-डीजल सही गुणवत्ता और मात्रा में उपलब्ध हो रहा है और सीधे ईंधन के तौर पर इसे परिवहन उद्देश्यों से नहीं बेचा जा रहा है। यदि बेचे जा रहे जैव-डीजल (बी100) का कोई नमूना फेल होता है तो राज्य/जिला प्रशासन एमएस (पेट्रोल) और एचएसडी (हाई स्पीड डीजल) की बिक्री करने वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए विपणन अनुशासन दिशा निर्देशों (एमडीजी) के अनुरूप प्रशासनिक कार्रवाई करेगा।

xi. श्रेणी "बी" पेट्रोलियम उत्पादों के लिए लागू सभी मात्रा और सुरक्षा दूरी संबंधी मानदंड जैव-डीजल की बिक्री करने वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों पर लागू होंगे क्योंकि इसे हाई स्पीड डीजल के साथ मिश्रित किया जाना होता है जो श्रेणी "बी" पेट्रोलियम उत्पाद है।

xii. यह सुनिश्चित करने के लिए कि जैव-डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र केवल बीआईएस मानकों के अनुरूप जैव-डीजल की बिक्री कर रहे हैं और न कि जैव-डीजल और हाई स्पीड डीजल के मिश्रण अथवा केवल डीजल की बिक्री कर रहे हैं, राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के मिलावटरोधी प्रकोष्ठ को अनाधिकृत और अवैध जैव-डीजल विनिर्माण संयंत्रों, भंडारण तथा वितरण इकाइयों और खुदरा बिक्री केन्द्रों का निरीक्षण करने, तलाशी लेने और अपने कब्जे में लेने का अधिकार है।

xiii. तेल उद्योग की मोबाइल प्रयोगशालाओं के पास भी जैव-डीजल की बिक्री करने वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों, विनिर्माण संयंत्रों, जैव-डीजल के भंडारण और वितरण नेटवर्क के निरीक्षण करने का क्षेत्राधिकार होगा।

xiv. अवैध जैव-डीजल आपूर्तिकर्ताओं का इस क्षेत्र में प्रवेश रोकने के उद्देश्य से, जैव-डीजल विनिर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और विक्रेताओं के लिए एक उपयुक्त पंजीकरण प्रणाली राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश स्तर पर तैयार की जाएगी। इसके अलावा, राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश सरकारें अपने-अपने संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में जैव-डीजल की बिक्री करने वाले सभी खुदरा बिक्री केन्द्रों का एक रजिस्टर रखेंगी।

xv. ऐसी कोई अन्य शर्त भी शामिल की जा सकती है जिसे राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश सरकार अपने संबंधित राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश में प्रचलित परिस्थितयों के अनुसार जैव-डीजल की बिक्री के लिए उपयुक्त समझें।

xvi. राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश सरकारें किसी आवेदक को जैव-डीजल की बिक्री के लिए अनुमति नहीं देने से संबंधित शिकायतों का समाधान करने के लिए एक अपीलीय प्राधिकरण निर्दिष्ट करेंगी।

xvii. इन दिशा निर्देशों के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाएगा।

[फा.सं. पी-13039(18)/1/2018-सीसी (पी-26825)]

संदीप पौण्डरीक, संयुक्त सचिव

अनुलग्नक

अपेक्षित पंजीकरण/अनुमोदन/अनापत्ति प्रमाणपत्र:

i. जिला मजिस्ट्रेट/जिला आयुक्त द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र, जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए किया जा रहा है।

ii. पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) लाइसेंस, यथा अपेक्षित।

iii. राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग प्राधिकरण

iv. संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के माप-तौल विभाग

v. संबंधित राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग

vi. जिला प्रशासन से वाणिज्यिक भूमि उपयोग प्रमाण-पत्र

vii. राज्य जैव ईंधन बोर्ड (जहां कहीं अस्तित्व में हैं)

viii. जीएसटी पंजीकरण

ix. अग्निशमन विभाग

x. दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम

xi. संबंधित राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पर्यावरणीय स्वीकृति।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2019

F.No.P-13039(18)/1/2018-CC(P-26825).—Ministry of Petroleum & Natural Gas has issued Gazette notification No. GSR 728 (E) on 29th June 2017 for amending the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Malpractices) Order dated 19th December 2005. Clause 6 (A) 1 of the amended order states that the Central Government may permit the direct sale of Biodiesel (B100) for blending with high speed diesel to all consumers, in accordance with the specified blending limits and the standards specified by the Bureau of Indian Standards.

2. In pursuance of the above, the Central Government hereby notifies the following guidelines for sale of Biodiesel for blending with high speed diesel for transportation purposes.

3. (i) These guidelines may be called the **"Guidelines for sale of Biodiesel for blending with high speed diesel for transportation purposes-2019."**

(ii) The above guidelines shall extend to the whole of India.

(iii) The guidelines contained herein will come into force from the date of their publication in the Gazette and remain in force until further orders.

4. The text of the guidelines is annexed.

"Guidelines for sale of Biodiesel for blending with high speed diesel for transportation purposes-2019"

i. Application for permission for retail sale of Biodiesel (B-100) through an outlet by an entity shall be made to the Food and Civil Supplies Department/any other Department authorised for the same by the State/UT Government of the concerned State/UT, where the Retail Outlet is to be set up.

ii. The permission will be granted exclusively for sale of biodiesel (B-100) only and not for any mixture thereof of whatever percentage.

iii. Permission for setting up the retail outlet for sale of biodiesel would be subject to the Registration/Approvals/No Objection Certificates as per **Annexure** from the respective Central/State/UT/Local Government/Authorities in which the retail outlet is located and other concerned authorities mentioned therein.

iv. This permission will be displayed prominently at the point of sale of Biodiesel.

v. Biodiesel to be sold in pursuance of aforesaid permission should be indigenously produced and not imported.

vi. Separate boards in English/Hindi and Vernacular language of the region should be prominently displayed at the biodiesel retail outlet displaying the percentage of Biodiesel allowed to be blended with diesel in the customer's automobile tank. Also, there should be clear warning displayed at the biodiesel retail outlet (with above board) that usage of biodiesel with percentage exceeding the prescribed percentage can cause damage to the engine.

vii. Owner/Operator shall maintain the material balance along with supplier details. The biodiesel retail outlet owner/operator shall make available the same at the retail outlet at all times for inspection by any authority authorised for the purpose either by the concerned State/UT Government and /or Central Government.

viii. Biodiesel retail outlet owner/operator shall retain samples of at least last three supplies received by them from their suppliers for inspection and/ or testing by any authority authorised for the purpose, as above.

ix. The biodiesel retail outlet owner/operator shall maintain a permanent record of each and every sale of biodiesel made by it in a register which would be updated on a daily basis and be available for inspection at all times. Additionally issuing of bill (in duplicate) for each sale, clearly showing vehicle number and customer name/contact number giving details of quantity sold, rate charged and date and time of sale would be mandatory. (One copy for customer and one for Retail Outlet record.)

x. State Government authorities shall have the power to carry out regular inspections of the retail outlets selling biodiesel to ensure that the biodiesel is being made available to the customer in the right quality and quantity, and is not being sold as a standalone fuel for transportation purposes. In case of any sample failure of Biodiesel (B100) being sold, State/ District Administration shall proceed with administrative action on the analogy of the Marketing Discipline Guidelines (MDG) for retails Outlets selling MS (Petrol) and HSD (High Speed Diesel).

xi. All volume and safety distance norms applicable for Class B Petroleum Products shall be applicable for pumps selling Biodiesel as it is meant for blending with High Speed Diesel which is a Class B Petroleum Product.

xii. To ensure that the Retail Outlets of Biodiesel are selling only Biodiesel conforming to BIS Standards and not mixture of Biodiesel and Diesel or only Diesel, anti-adulteration cells of Public Sector Oil Marketing Companies along with State Government officials are empowered to inspect, search and seize unauthorized and unscrupulous Biodiesel manufacturing plants, the storage and distribution units and Retails Outlets.

xiii. Mobile labs of Oil Industry will also have the jurisdiction to cover retail outlets selling Biodiesel, manufacturing plants, storage and distribution network of Biodiesel.

xiv. To avoid entry of unscrupulous biodiesel suppliers, a suitable registration system for biodiesel manufactures, suppliers and sellers will be devised at the State/UT Level. Further, State/UT Governments shall maintain a register of all Retail Outlets selling Biodiesel in their respective State/UT

xv. Any other conditions, which the State/UT Government may deem appropriate for sale of biodiesel as per the prevailing conditions in their respective State/UTs may also be included.

xvi. State/ UT Governments would designate an Appellate Authority to redress complaints related to denial of permission for sale of biodiesel to an applicant.

xvii. Any clarifications in respect of these guidelines shall be made by the Central Government.

[F.No. P-13039(18)/1/2018-CC (P-26825)]

SANDEEP POUNDRIK, Jt. Secy.

Annexure

Registration/Approvals / NOCs required:

i. District Magistrate/District Commissioner on similar lines as is being done for Retail Outlets of Public Sector Oil Marketing Companies

ii. Petroleum and Explosives Safety Organisation (PESO) license, as required

iii. National/State Highway Authorities

iv. Weights and Measures Department of the respective State/UT

v. Food and Civil Supplies Department of the respective State/UT

vi. Land use certificate of commercial land from District Administration

vii. State Biofuel Boards(wherever existing)

viii. GST Registration

ix. Fire Department

x. Shops and Establishments Act

xi. Environmental Clearance from the Pollution Control Board of the respective State/UT

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2019.05.01 16:30:18 +05'30'

03 MAR 2020

241 / 31.3.20

परिपत्र क्रमांक- 1

मध्यप्रदेश शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन

क्रमांक - एफ 4-4(4-6)2018/29-1 भोपाल, दिनांक [illegible] फरवरी, 2020

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषय:- परिवहन प्रयोजन हेतु हाई स्पीड डीजल के साथ मिश्रण के लिए जैव डीजल की बिक्री।

संदर्भ:- भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की मोटर स्पिरिट और हाईस्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियमन और कदाचारों की रोकथाम) आदेश 2005 के संशोधन आदेश अधिसूचना क्रमांक सा.का.नि. 728 (अ) दिनांक 29 जून, 2017, सा.का.नि. 395(अ) दिनांक 30 मई, 2019 एवं अधिसूचना फा.सं.पी. 13039(18)/1/2018- सी.सी.(पी- 26825) दिनांक 30.04.2019.

—0—

उक्त विषयांतर्गत संदर्भित आदेशों से भारत सरकार द्वारा बायोडीजल की बिक्री के संबंध में 03 अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। मोटर स्पिरिट और हाईस्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियमन और कदाचारों की रोकथाम) आदेश 2005 अंतर्गत अधिसूचना दिनांक 29 जून, 2017 जैव डीजल की बिक्री में अनुज्ञा जारी करने से संबंधित संशोधन है। जबकि अधिसूचना दिनांक 30 अप्रैल, 2019 जैव डीजल को परिवहन प्रयोजन हेतु हाई स्पीड डीजल के साथ मिश्रण के लिए जैव डीजल की बिक्री हेतु दिशा-निर्देश हैं। अधिसूचना 30 मई, 2019 अंतर्गत हाई स्पीड डीजल के साथ मिश्रण के लिए जैव डीजल की सीधी बिक्री के सीमित प्रयोजन हेतु जैव डीजल (B-100) को विनिर्दिष्ट मिश्रण सीमाओं और भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप होने की स्थिति में सीधी बिक्री की अनुमति भारत सरकार द्वारा दी गई है। उक्त अनुमति इस शर्त पर दी गई है कि 30 अप्रैल, 2019 की अधिसूचना संख्या फा.सं.पी. 13039(18)/1/2018- सी.सी.(पी- 26825) के द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों का पालन हो। इन अधिसूचनाओं की प्रति संलग्न है।

उक्त निर्देश के पालन में राज्य शासन निम्न दिशा-निर्देश जारी करता है-

1. जैव डीजल (बी0100) की खुदरा बिक्री हेतु आवेदक आवेदन पत्र जिला के भीतर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करेगा जिसे जिले के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के कार्यालय के माध्यम से आगामी कार्यवाही हेतु परीक्षण उपरांत कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन का प्ररूप 'क' संलग्न है।
2. कलेक्टर द्वारा बिक्री की अनुमति देने के पूर्व निम्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जायेगा-

..2020\Petrolium-2020\Biofuel\biodiesel circular.docx

Scanned by CamScanner

i. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (जैसा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के खुदरा बिक्री केंद्रों के लिए किया जा रहा है।

ii. पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) लाईसेंस, यथा अपेक्षित।

iii. राष्ट्रीय / राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (यदि उन पर स्थापित है तो)

iv. मध्यप्रदेश के नियंत्रक नापतौल के सक्षम अधिकारियों द्वारा सत्यापित माप/कैलीब्रेटेड अंडरग्राउंड टैंक एवं मशीनों के सत्यापन का प्रमाण-पत्र

v. मध्यप्रदेश का खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग का निरीक्षण प्रतिवेदन।

vi. जिला प्रशासन से वाणिज्यिक भूमि उपयोग प्रमाण-पत्र

vii. राज्य जैव ईंधन बोर्ड (यदि अस्तित्व में है तो)

viii. जी.एस.टी. पंजीकरण

ix. अग्निशमन संबंधी उपकरणों की स्थापना एवं इस संबंध में जारी संबंधित कार्यालय का प्रमाण-पत्र

x. दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत जारी गुमास्ता अनुज्ञप्ति (आवश्यक होने पर)

xi. मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पर्यावरणीय स्वीकृति।

3. यह अनुमति केवल B(0100) बायोडीजल की बिक्री के लिए होगी, न कि उसके साथ मिश्रित किसी अन्य मिश्रण को बेचने के लिए।

4. इस अनुमति को जैव डीजल के बिक्री स्थल के दृष्टिगोचर स्थल पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा।

5. उपर्युक्त अनुमति के अनुसरण में संबंधित खुदरा विक्रेता द्वारा विक्री किया जाने वाला जैव डीजल आयातित न होकर केवल स्वदेशी रूप से उत्पादित जैव डीजल होगा।

6. ग्राहक के ऑटोमोबाईल टैंक में डीजल के साथ मिश्रण हेतु अनुमोदित जैव डीजल का प्रतिशत जो केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित है, का जैव डीजल खुदरा बिक्री स्थल पर प्रमुखता से देवनागरी लिपि में प्रदर्शित किया जायेगा। इसके साथ ही जैव डीजल खुदरा विक्री केन्द्र पर प्रमुखता से यह चेतावनी (बोर्ड पर) प्रदर्शित करना होगी कि विनिर्धारित मात्रा से अधिक प्रतिशतता में जैव डीजल का इस्तेमाल इंजन को क्षति पहुंचा सकता है।

7. खुदरा बिक्री केंद्र के स्वामी/प्रचालक, आपूर्तिकर्ता के ब्यौरे के साथ-साथ बायो-डीजल की बिक्री और शेष का रिकार्ड रखेंगे। जैव डीजल खुदरा बिक्री केंद्र के स्वामी/प्रचालक बायो-डीजल के रिकार्ड को हर समय खुदरा बिक्री केंद्र पर उपलब्ध रखेंगे, ताकि कभी भी राज्य केंद्र सरकार के किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस संबंध में निरीक्षण किया जा सके।

8. बायो डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र के स्वामीप्रचालक अपने आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त कम से कम / विगत तीन आपूर्तियों के नमूने रखेगा, ताकि सक्षम अधिकारी द्वारा उसका निरीक्षण/जांच की जा सके।

..2020\Petrolium-2020\Biofuel\biodiesel circular.docx

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

9. बायोडीजल खुदरा बिक्री केंद्र का स्वामी / प्रबंधक एक रजिस्टर में बायोडीजल की प्रत्येक बिक्री का स्थाई रिकार्ड रखेगा जिसे दैनिक आधार पर अद्यतन किया जायेगा और यह हर समय जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा प्रत्येक बिक्री के लिए बिल दो प्रति में जारी किया जायेगा जिसमें बेची गई मात्रा, प्रभारित दर और बिक्री की तारीख व समय के ब्यौरा देते हुये वाहन क्रमांक और वाहन का नाम/संपर्क दुकान को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा। (बिल की एक प्रति ग्राहक के लिए और एक प्रति खुदरा केंद्र के रिकार्ड हेतु रखी जायेगी।)

10. राज्य सरकार के प्राधिकृत प्राधिकारियों के पास जैव डीजल की बिक्री करने वाले खुदरा बिक्री केंद्रों की नियमित जांच करने का अधिकार होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपभोक्ता को जैव डीजल सही गुणवत्ता और मात्रा में उपलब्ध हो रहा है और सीधे ईंधन के तौर पर इसे परिवहन उद्देश्यों से नहीं बेचा जा रहा है। यदि बेचे जा रहे जैव डीजल (बी0100) का कोई नमूना फेल होता है तो जिला कलेक्टर पेट्रोल और हाईस्पीड डीजल की बिक्री करने वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिये जारी विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों (एम.डी.जी) के अनुरूप प्रशासनिक कार्यवाही करेगा।

11. बी 100-डीजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जवाबदेही जैव डीजल खुदरा विक्री करने वाले फर्म की होगी। उक्तानुसार गुणवत्ता सुनिश्चित न करने की स्थिति में विधिक प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

12. जैव डीजल खुदरा विक्री करने वाले व्यक्ति द्वारा उपभोक्ता को जैव डीजल की विक्री एवं डीजल मे इसके प्रतिशत मिश्रण के संबंध में पर्याप्त रूप से जागरूक किया जायेगा। इसके लिए उसके द्वारा प्रतिष्ठान के सहज दृष्टिगोचर स्थल पर सेमी 180x 150 प्रतिशत की अधिकतम सीमा - पर डीजल में बायोडीजल के मिश्रणआकार के बोर्ड सेमी घन करने पर इंजन को होने वाली क्षति संबंधित जानकारी प्रदर्शितएवं सीमा का उल्लं की जायेगी।

13. यदि कोई उपभोक्ता जैव डीजल खुदरा विक्री केंद्र से बायोडीजल सीधे वाहन में ईंधन के तौर पर भरते हुए या उपयोग करते हुये पाया जाता है तो उक्त विक्री केंद्र के स्वामी को भी दोषी माना जायेगा।

14. श्रेणी-बी पेट्रोलियम उत्पादो के लिए लागू सभी मात्रा और सुरक्षा दूरी संबंधी मापदंड जैव डीजल की विक्री करने वाले खुदरा विक्री केंद्रों पर लागू होंगे, क्योंकि इसे हाई स्पीड डीजल के साथ मिश्रित किया जाना होता है जो श्रेणी 'बी' पेट्रोलियम उत्पाद है।

15. यह सुनिश्चित करने के लिए कि जैव डीजल के खुदरा विक्री केंद्र केवल बी.आई.एस मानकों के अनुरूप जैव डीजल की खुदरा विक्री कर रहे है, न कि जैव डीजल और हाईस्पीड डीजल के मिश्रण अथवा केवल डीजल की विक्री कर रहे हैं, राज्य सरकार के प्राधिकृत अधिकारियों एवं तेल विपणन की कपंनियों के मिलावटरोधी प्रकोष्ठ को अवैध जैव-डीजल विनिर्माण संयंत्रों,

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

भण्डारण तथा वितरण इकाईयों और खुदरा बिक्री केंद्रों का निरीक्षण करने, तलाशी लेने और अपने कब्जे में लेने आदि की अधिकारिता मोटर स्पिरिट और हाईस्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियमन और कदाचारों की रोकथाम) आदेश 2005 के प्रावधान अनुसार होगी।

16. अवैध डीजल आपूर्तिकर्ताओं को इस क्षेत्र में प्रवेश रोकने के उद्देश्य से जैव डीजल विनिर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और विक्रेताओं के लिये जिला स्तर पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय में पंजीकरण कराया जायेगा। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा यथाशीघ्र ऑनलाईन पंजीकरण प्रणाली विकसित की जायेगी। ऑनलाईन पंजीयन प्रणाली विकसित होने तक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के जिला कार्यालय द्वारा सभी जैव-डीजल विक्रेताओं का रजिस्टर संधारित किया जायेगा।
17. जैव डीजल के खुदरा व्यापार की अनुमति कलेक्टर द्वारा प्रदान न करने की स्थिति में व्यथित जैव-डीजल का कोई भी खुदरा विक्रेता संभागीय आयुक्त को 30 दिवस के भीतर अपील कर सकेगा। उक्त अपील पर निर्णय 30 दिवस के भीतर किया जायेगा।
18. जैव-डीजल के खुदरा व्यापारी द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा जारी (बी-100) मानक के समय-समय पर जारी किये जाने वाले अद्यतन मापदंड अनुसार बायो-डीजल का बिक्री किया जायेगा।
19. राज्य शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सहायक आपूर्ति अधिकारी से अन्यून स्तर के अधिकारी, राजस्व विभाग के तहसीलदार से अन्यून स्तर के अधिकारी एवं सार्वजनिक उपक्रम की तेल विपणन कंपनी के विक्रय प्रबंधक से अन्यून स्तर के अधिकारी बायो-डीजल के प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने के लिए सक्षम होंगे।
20. जारी की जाने वाली अनुमति एवं प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन में समय-समय पर संशोधन आयुक्त/संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण द्वारा जारी किया जायेगा।

उपरोक्त दिशा-निर्देशानुसार परिवहन प्रयोजन हेतु हाई-स्पीड डीजल के साथ मिश्रण के लिए जैव डीजल की बिक्री की कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्त औपचारिकताओं को पूर्ण करने वाले आवेदकों को जिला कलेक्टर द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण करते हुए अनुमति प्ररूप 'ख' अनुसार जारी की जाये।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

(उमाकांत पाण्डेय)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

पृ क्र. एफ 4-4(4-6)2018/29-1 भोपाल, दिनांक 6/ फरवरी, 2020

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
4. समस्त जिला आपूर्ति नियंत्रक/अधिकारी, मध्यप्रदेश।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

प्ररूप 'क'

मध्यप्रदेश में जैव डीजल (बी-100) की बिक्री हेतु अनुमति के लिए आवेदन-पत्र

1. उत्पाद जिसके लिए अनुमति अपेक्षित है, उसका नाम ....
2. आवेदक फर्म के संचालक का अद्यतन पासपोर्ट साईज फोटो (एक फोटो चिपकायें तथा एक फोटो आवेदन के साथ संलग्न करें)।

फोटो 3.5x3.5 cm

3. आवेदक का नाम..
4. पिता/पति का नाम..
5. आवेदक के निवास स्थान का पूर्ण पता ....
6. आवेदक की फर्म का प्रकार (कंपनी/स्वत्वधारी फर्म/पार्टनरशिप फर्म/ सोसायटी)..........................
7. आवेदक का पैन नंबर......................
8. आवेदक का जी.एस.टी. क्रमांक........... ....
9. आवेदक का आधार क्रमांक.........................
10. भागीदारी फर्म/कंपनी/सोसायटी/स्वत्वधारी फर्म का संबंधित कार्यालय से जारी पंजीयन प्रमाण-पत्र (पार्टनरशिप डीड/बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के गठन की प्रति भी संलग्न करें).............
11. उस स्थान या परिसर का पूरा पता जहां कारोबार संपादित किया जाना है..
12. बायोडीजल के संग्रहण के स्थान का पूरा पता/स्थानों के पूरे पते..
13. बायोडीजल का तकनीकी नाम जिसका विक्रय किया जाना अपेक्षित है......................................
14. बॉयोडीजल के भंडारण हेतु जिला कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र ....
15. उस कंपनी/फर्म का नाम जहां से फर्म बायोडीजल के आवेदक द्वारा बायोडीजल का क्रय कर बिक्री किया जाना है..................
16. पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पी.ई.एस.ओ.) लायसेंस, यथा अपेक्षित...................
17. राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग (यदि वहां स्थापित है तो) प्राधिकरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र ....
18. प्रदेश के नाप-तोल विभाग का सत्यापन प्रमाण-पत्र ....
19. जिला प्रशासन का वाणिज्य भूमि उपयोग प्रमाण पत्र ....
20. अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र ....

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

प्ररूप 'क'

मध्यप्रदेश में जैव डीजल (बी-100) की विक्री हेतु अनुमति के लिए आवेदन-पत्र

1. उत्पाद जिसके लिए अनुमति अपेक्षित है, उसका नाम ....
2. आवेदक फर्म के संचालक का अद्यतन पासपोर्ट साईज फोटो (एक फोटो चिपकायें तथा एक फोटो आवेदन के साथ संलग्न करें)।

फोटो 3.5x3.5 cm

3. आवेदक का नाम..
4. पिता/पति का नाम..
5. आवेदक के निवास स्थान का पूर्ण पता ....
6. आवेदक की फर्म का प्रकार (कंपनी/स्वत्वधारी फर्म/पार्टनरशिप फर्म/ सोसायटी)........................
7. आवेदक का पैन नंबर......................
8. आवेदक का जी.एस.टी. क्रमांक........... ....
9. आवेदक का आधार क्रमांक..........................
10. भागीदारी फर्म/कंपनी/सोसायटी/स्वत्वधारी फर्म का संबंधित कार्यालय से जारी पंजीयन प्रमाण-पत्र (पार्टनरशिप डीड/बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के गठन की प्रति भी संलग्न करें)..............
11. उस स्थान या परिसर का पूरा पता जहां कारोबार संपादित किया जाना है..
12. बायोडीजल के संग्रहण के स्थान का पूरा पता/स्थानों के पूरे पते..
13. बायोडीजल का तकनीकी नाम जिसका विक्रय किया जाना अपेक्षित है......................................
14. बॉयोडीजल के भंडारण हेतु जिला कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र ....
15. उस कंपनी/फर्म का नाम जहां से फर्म बायोडीजल के आवेदक द्वारा बायोडीजल का क्रय कर विक्री किया जाना है..................
16. पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पी.ई.एस.ओ.) लायसेंस, यथा अपेक्षित...................
17. राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग (यदि वहां स्थापित है तो) प्राधिकरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र ....
18. प्रदेश के नाप-तोल विभाग का सत्यापन प्रमाण-पत्र ....
19. जिला प्रशासन का वाणिज्य भूमि उपयोग प्रमाण पत्र ....
20. अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र ....

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

21. दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम का पंजीकरण (आवश्यकतानुसार) ....

22. प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पर्यावरणीय स्वीकृति का प्रमाण-पत्र ....

23. आवेदक या फर्म का कोई अन्य भागीदार/पदाधिकारी किसी अन्य स्थान पर पेट्रोलियम उत्पादकों/पेट्रोल या डीजल पंप का कारोबार चला रहा है? या क्या वह किसी फर्म का स्वत्वधारी भागीदारी पदाधिकारी है? यदि हां तो कृपया पूर्ण विवरण दीजिए.................

मैं/हम घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि उपरोक्त प्रविष्टियां एवं इस आवेदन के साथ संलग्न संपूर्ण दस्तावेज मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं एवं मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है।

(संलग्न दस्तावेज सूची)

आवेदक के हस्ताक्षर

(फर्म की सील)

स्थान...........

दिनांक...........

Scanned by CamSc

Scanned by CamScanner

प्रारूप 'ख'

मध्यप्रदेश में बायोडीजल बी-100 के क्रय-विक्रय तथा भंडारण के लिए अनुमति

फोटो

3.5x3.5 cm

अनुमति क्रमांक-.................... जारी करने का दिनांक..................

फर्म का नाम...

अनुमति प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अद्यतन फोटो ....

चूंकि आवेदक/आवेदक फर्म.. द्वारा राज्य शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के जिला-कार्यालय में जैव डीजल (बी-100) की खुदरा बिक्री हेतु अनुमति लेने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया है एवं तदुपरांत उसके उक्त प्रतिष्ठान के निरीक्षण उपरांत निम्न शर्तों का पालन किया जाना निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा प्रतिवेदित किया गया है:-

1. पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन द्वारा जारी आवश्यक लाईसेंस प्राप्त कर लिया गया है;
2. राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा यथा अपेक्षित अनुमति/अनुज्ञा प्राप्त कर ली गई है;
3. संबंधित जिले के नापतौल कार्यालय द्वारा पंपों एवं मापों का कैलीबरेशन किया जा चुका है;
4. जिला के सक्षम अधिकारी द्वारा भूमि के वाणिज्यिक उपयोग हेतु व्यपवर्तन करा लिया गया है;
5. जी.एस.टी का पंजीकरण आवेदक द्वारा प्राप्त कर लिया गया है;
6. अग्निशमन के उपकरणों के संस्थापन पश्चात् संबंधित विभाग द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है;
7. दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत संबंधित निकाय का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जा चुका है एवं राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है;

अत: उक्त फर्म को भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सा.का.नि. 395(अ) नई दिल्ली, दिनांक 30 मई, 2019 में जैव डीजल (बी-100) की सीधी बिक्री की प्रदत्त अनुमति के क्रियान्वयन हेतु आदेशित किया जाता है। उक्त फर्म को निम्न शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक होगा-

(1) आवेदक व्यक्ति/फर्म द्वारा केवल जैव डीजल (बी-100) की सीधी बिक्री की जायेगी, फर्म द्वारा जैव डीजल का किसी भी प्रतिशतता में मिश्रण का कार्य नहीं किया जायेगा।

(2) उपरोक्त विभागों द्वारा प्रदत्त अनुमति/अनुज्ञा के निरस्त होने पर सीधी बिक्री की अनुमति संबंधी यह आदेश स्वत: निरस्त माना जायेगा।

(3) बायोडीजल के खुदरा बिक्री केंद्र का स्वामी/प्रचालक इस अनुमति को बॉयोडीजल (बी-100) के बिक्री स्थल के दृष्टिगोचर स्थल पर प्रमुखता से प्रदर्शित करेगा।

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

(4) उपर्युक्त अनुमति के अनुसरण में स्वामी/प्रचालक द्वारा विक्रय किया जाने वाला बायोडीजल आयतित न होकर केवल स्वदेशी रूप से उत्पादित बायोडीजल होगा।

(5) वाहन के ऑटोमोबाईल टैंक में डीजल के साथ मिश्रण हेतु अनुमोदित जैव डीजल का प्रतिशत जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित है, की सूचना को जैव डीजल खुदरा विक्री स्थल पर प्रमुखता से देवनागरी लिपि में प्रदर्शित किया जायेगा। इसके साथ ही जैव डीजल खुदरा बिक्री केंद्र पर प्रमुखता से यह चेतावनी (बोर्ड पर) प्रदर्शित करना होगी कि विनिर्धारित मात्रा से अधिक प्रतिशतता में जैव डीजल का इस्तेमाल इंजन को क्षति पहुंचा सकता है।

(6) खुदरा बिक्री केंद्र के स्वामी/प्रचालक, आपूर्तिकर्ता के ब्यौरे के साथ-साथ वायो-डीजल की बिक्री और शेष का रिकार्ड रखेंगे। जैव डीजल खुदरा बिक्री केंद्र के स्वामी/प्रचालक वायो-डीजल के क्रय-विक्रय के रिकार्ड को हर समय खुदरा बिक्री केन्द्र पर उपलब्ध रखेंगे, ताकि कभी भी राज्य/केंद्र सरकार के किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस संबंध में निरीक्षण किया जा सके।

(7) स्वामी/प्रचालक बायोडीजल के आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त कम से कम विगत 03 आपूर्तियों के नमूने रखेगा, ताकि सक्षम अधिकारी द्वारा उसका निरीक्षण/जांच की जा सके।

(8) बायो-डीजल खुदरा विक्री केन्द्र का स्वामी /प्रचालक एक रजिस्ट्रर में बायोडीजल की प्रत्येक बिक्री का स्थाई रिकार्ड रखेगा जिसे दैनिक आधार पर अद्यतन किया जायेगा और यह हर समय जांच के लिये उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा प्रत्येक बिक्री के लिये बिल दो प्रति में जारी किया जायेगा जिसमें बेची गई मात्रा, प्रभारित दर और बिक्री की तारीख व समय के ब्यौरा देते हुये वाहन क्रमांक और ग्राहक का नाम/संपर्क दूरभाष को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा। (बिल की एक प्रति ग्राहक के लिये और एक प्रति खुदरा केन्द्र के रिकार्ड हेतु रखी जायेगी।)

(9) राज्य सरकार के प्राधिकृत प्राधिकारियों के पास जैव डीजल की विक्री करने वाले खुदरा विक्री केंद्रों की नियमित जांच करने का अधिकार होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपभोक्ता को जैव डीजल सही गुणवत्ता और मात्रा में उपलब्ध हो रहा है और सीधे ईंधन के तौर पर इसे परिवहन उद्देश्यों से नहीं बेचा जा रहा है। यदि बेचे जा रहे जैव डीजल (बी-100) का कोई नमूना फैल होता है तो जिला कलेक्टर पैट्रोल और हाईस्पीड डीजल की विक्री करने वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिये जारी विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों (एम.डी.जी.) के अनुरूप प्रशासनिक कार्यवाही करेगा।

(10) बी-100 डीजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जवाबदेही जैव डीजल खुदरा बिक्री करने वाले फर्म की होगी। उक्तानुसार गुणवत्ता सुनिश्चित न करने की स्थिति में विधिक प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

(11) जैव डीजल खुदरा बिक्री करने वाले व्यक्ति द्वारा उपभोक्ता को जैव डीजल की बिक्री एवं डीजल में इसके प्रतिशत मिश्रण के संबंध में पर्याप्त रूप से जागरूक किया जायेगा। इसके लिए उसके द्वारा प्रतिष्ठान के सहज दृष्टिगोचर स्थल पर 180 सेमी. x 150 सेमी. आकार के बोर्ड पर डीजल में बायोडीजल के मिश्रण-प्रतिशत की अधिकतम सीमा एवं सीमा का उल्लंघन करने पर इंजन को होने वाली क्षति संबंधित जानकारी प्रदर्शित की जायेगी।

(12) यदि कोई उपभोक्ता जैव डीजल खुदरा बिक्री केंद्र से बायोडीजल सीधे वाहन में ईंधन के तौर पर भरते हुए या उपयोग करते हुये पाया जाता है तो उक्त बिक्री केंद्र के स्वामी को भी दोषी माना जायेगा।

(13) श्रेणी-बी पेट्रोलियम उत्पादों के लिये लागू सभी मात्रा और सुरक्षा दूरी सम्बंधी मापदंड जैव डीजल की बिक्री करने वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों पर लागू होंगे, क्योंकि इसे हाई स्पीड डीजल के साथ मिश्रित किया जाना होता है जो श्रेणी 'बी' पेट्रोलियम उत्पाद है।

(14) जैव-डीजल के खुदरा व्यापारी द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा जारी (बी-100) मानक के समय-समय पर जारी किये जाने वाले अद्यतन मापदंड अनुसार बायो-डीजल का बिक्री किया जायेगा। चूंकि आवेदक फर्म .... द्वारा बायोडीजल (बी-100) के क्रय-विक्रय हेतु भारत सरकार द्वारा विहित शर्तों का पालन कर लिया गया है।

8. (क) कारोबार निम्न स्थान/स्थानों पर किया जाएगा ....

(ख) बायोडीजल (बी 100) का संग्रह निम्नलिखित स्थानों पर किया जाएगा ....

....

9. स्वामी/प्रचालक निम्नलिखित प्रारूप में बायोडीजल (बी.-100) का स्टॉक तथा विक्रय रजिस्टर रखेगा-

स्टॉक तथा विक्रय रजिस्टर

तारीख	आरंभिक स्टॉक (सेंटीमीटर/लीटर)	प्राप्ति (लीटर)	योग (लीटर)	विक्रय (लीटर)	अतिशेष बुक स्टॉक (लीटर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

अंतिम वाचन	मीटर अंतिम वाचन (डिपरीडिंग)	कालम 7 एवं 8 के बीच का

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

	मीटर	अंतर	टिप्पणियां
(7)	(8)	(9)	(10)

जिला दण्डाधिकारी/कलेक्टर

जिला .... (म.प्र.)

दिनांक...............

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

INDIAN BIO DIESEL & ENERGY PRIVATE LIMITED

Registered Office: 1021, Anx Omaxcity/ Bypass Road Indore 453221
Corporate Office: 413, 4th floor, Shekhar Central, Near Palasia Square, Indore-452001
UICN NO : U23209MP2021PTC058402
PAN NO : AAGCI4062B
Landline No : 0731-3511265, 0731-3511264, 0731-3511259, 0731-3511253

Toll Free No : 1800-572-5272

Ref :- IBD/QUO/2022-23 **Date :- 01-JAN-2022**

MADHYA PRADESH

INVESTMENT

Documentation Survey of land and client Document	8,100
Registration A/C Opening in company structure	50,000
Distribution charges one time	20,0000
Security Deposit	30,0000
Dispensing Machine Tokhem q33o duel nozel	2,70,000
Storage Tank Diesel 30kL	2,90,000
Tank fitting	50,000
Fitting Pipe Valve (pipe, Valve, CVT stabilizer etc)	80,000
Knop 8*8 meter (optional)	6,00,000
Total	18,48,100

CIVIL WORK

Office	2,50,000
Boundary wall	2,50,000
Washroom-2	10,0000
Water cooler	40,000
Light Fitting	10,0000
Light poles led 8 pieces with Fitting	60,000
Miscellaneous (Transportation etc)	50,000
Bio Diesal 20 kL B100 (Ason Date)	15,00,000
Total	23,50,000

Investment	18,48,100
Civil Work	2,35,0000
Grand total	41,98,100

- Transportation and local Taxes will be charged extra.
- All Pump Owners are requested to provide GST No. at the time of Agreement.
- Prices are about to change without any prior notice to Solo Description of Availability of material and transportation.
- All Govt. permission & NOC are subject to pump owners Solo Description